सं0–593 / XXV ।।।–(1)–2008–162 / 2005

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक : 03 जुलाई 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 में जारी वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–267 / XXV II(1) / 2008, दिनांक 27.03.2008 के क्रम में आपके पत्र संख्या–494 / लेखा–140 / बजट–2008–09, दिनांक 21.04.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 305 / XXVIII(1) / 2007–162 / 2005 ।। दिनांक, 15 अप्रैल, 2008 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में अवचनबद्ध मानक मद 12, 16, 20, 26, 39, 45 एवं 46 में आपके निवर्तन में रखी अवशेष धनराशि आयोजनागत पक्ष में **रूपये 57,00,000.00 हजार (रू0 सत्तावन लाख मात्र)** तथा आयोजनेत्तर पक्ष में **रूपये 10618000.00 (रू0 एक करोड़ छः लाख अठ्ठारह हजार मात्र)** इस प्रकार कुल **रूपये 16318000.00 हजार (रू0 एक करोड़ तिरसठ लाख अठ्ठारह हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ व्यय करने की श्रीराज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका अधि प्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन कर जी जायेगी तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग की जायेगी तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा / अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा ।

3– किसी भी व्यय हेतु अधि प्राप्ति नियमावली वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम तथा अन्य सुसंगत नियम,(बजट मैनुवल) तथा शासनादेश संख्या–267 / XXVII(1) / 2008,दिनांक 27.03.2008,(छायाप्रति संलग्न) आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरण / फर्नीचर आदि का कय / आवश्यकता / अनुलब्धता के आधार पर प्राथमिकता तय करते हुए नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4– उक्त मदों में होने वाला व्यय संलग्नक में इंगित आयोजनागत व आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—154(P)/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/2008, दिनांक 25 जून, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोक्त

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

संo—593 (1)/XXV।।।—(1)—2008—162/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल ।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4— निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5— वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड ।
6— समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7— समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8—बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून
9—वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—03/नियोजन विभाग/एन0आई0सी ।
10—गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या 593/XXVIII(1)/2008–162–2005 दिनांक 03 जुलाई, 2008 का संलग्नकः–

(धनराशि हजार रुपये मे)

लेखाशीर्षक	12–कार्यालय फर्नीचर	16– व्यवसायिक सेवाओं पर व्यय	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता	26–मशीनें साज–सज्जा एवं उपकरण	39–औषधि तथा रसायन	45–अवकाश यात्रा	46–कम्प्यूटर आदि का क्रय	योग
आयोजनागत								
2210–02–101–0804	1000	0	0	500	4200	0	0	5700
योग–आयोजनागत पक्ष	1000	0	0	500	4200	0	0	5700
आयोजनेत्तर								
2210–02–101–0301	0	70	0	50	0	200	0	320
2210–02–101–0.401	33	0	0	0	0	15	0	48
2210–02–101–0601	0	0	100	0	0	0	0	100
2210–02–101–0602	0	0	100	0	0	0	0	100
2210–02–101–0804	0	0	0	0	10000	50	0	10050
योगआयोजनेत्तर पक्ष	33	70	200	50	10000	265	0	10618
महायोगः–	1033	70	200	550	14200	265	0	16318

(सुनीलश्री पांथरे)
उप सचिव ।